धरोहर समाचार पत्रिका

वर्ष 2012 प्रथम अंक

नर्मदा प्रदूषण शमन विशेषांक

नर्मदा नदी सम्पूर्ण भारत की एकमात्र पांचवी बड़ी ऐसी सदा नीरा पवित्र नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर अन्य समतुल्य बड़ी नदियों की तुलना में विवरीत दिशा में प्रवाहित होती है ।

नर्मदा नदी के किनारे बसा धार्मिक नगर (ओंकारेश्वर)

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली प्रमुख धार्मिक नदी है जिससे समस्त प्रदेश ही नहीं देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है ।

यहां इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में नदियों के प्रदूषण की समीक्षा में देश की प्रमुख नदियों से नर्मदा को अपेक्षाकृत स्वच्छ पाया है ।

अतः मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित प्रदेश के सर्वसंबंधित शासकीय विभागों,

नर्मदा नदी के पवित्र जल का आचमन करता श्रद्धालू

अशासकीय संगठनों एवं प्रत्येक मध्य प्रदेशवासी का प्रथम कर्तव्य बनता है कि इस नदी के निर्मल एवं अविरल बनाये रखने के लिये योगदान प्रदान करे ।

नर्मदा नदी

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाडों से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मण्डला, डिण्डौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगौन एवं बडवानी आदि से होते हुये 1077 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है व इसके बाद 32 किलोमीटर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र व 40 किलोमीटर मध्य प्रदेश एवं गुजरात की सीमाओं से बहते हुये गुजरात राज्य में प्रवेश कर 161 किलोमीटर की यात्रा पूरी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

करते हुये कुल 1312 किलोमीटर की लम्बाई में प्रवाहित होने के पश्चात् गुजरात राज्य के खम्बात की खाडी से समुद्र मे मिल जाती है। देश की एक मात्र नदी है जो सीधे समुद्र मे मिलती है। नर्मदा का कुल कछार क्षेत्र 98796 वर्ग किमी. है, इस कछार का 85859 वर्ग किमी. क्षेत्र (87 प्रतिशत) मध्यप्रदेश में है तथा 1538 वर्ग किमी. महाराष्ट्र व 11399 वर्ग किमी. गुजरात में है। नर्मदा कछार क्षेत्र में मध्यप्रदेश के 25 गुजरात के 5, छत्तीसगढ़ के 02 और महाराष्ट्र का एक जिला आता है ।

नर्मदा की सहायक नदियॉ –

नर्मदा की अनेको सहायक नदियॉ है, लेकिन जिन सहायक नदियों का जलग्रहण क्षेत्र 500 वर्ग किमी. से अधिक है, ऐसी प्रमुख सहायक नदियों की संख्या 41 है । इनमें से 19 सहायक नदियॉ दाऐं तट से तथा 22 नदियॉ बाऐं तट से नर्मदा में मिलती है । कुल 41 प्रमुख सहायक नदियों में से 39 सहायक नदियॉ नर्मदा में मध्यप्रदेश में मिलती है तथा केवल 02 सहायक नदियॉ गुजरात में मिलती हैं । इनके अतिरिक्त नर्मदा की कई उप सहायक नदियॉ भी है अर्थात एक नदी सहायक नदी से मिलती है तथा आगे जाकर वो सहायक नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है ।

नर्मदा नदी में मध्यप्रदेश में दायें तट से मिलने वाली सहायक नदियॉ –

1. सिल्गी
2. बलई
3. गौर
4. हिरन
5. बिरंज
6. तेन्दोनी
7. बारना
8. जामनेर
9. कोलार
10. सिप
11. चनकेशर
12. खारी
13. कनार
14. चोरल
15. कारम
16. मान
17. उरी
18. हथनी

नर्मदा नदी में मध्यप्रदेश में बायें तट से मिलने वाली सहायक नदियॉ –

1. खारमेर
2. दूधी
3. छोटातवा
4. बुढनेर
5. सुखरी
6. कावेरी
7. बंजर
8. तवा
9. खरकिया
10. तेमुर
11. हाथेर
12. कुण्डी
13. सोनेर
14. गेजाल
15. बोराड़
16. शेर
17. अजनाल
18. डेव
19. गोई
20. माचक
21. शक्कर

नर्मदा कछार में आने वाले जिले :–

मध्यप्रदेश :– अनूपपुर, शहडोल, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, सीहोर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, इंदौर, धार, अलीराजपुर, डिन्डोरी, कटनी, हरदा, झाबुआ ।

नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में तीन एवं गुजरात में एक डेम भी बनाया गया हैं जिनके नाम निम्नानुसार है :

1. बरगी जिला जबलपुर म.प्र.
2. ओंकारेश्वर जिला खण्डवा म.प्र.
3. महेश्वर जिला खण्डवा म.प्र.
4. सरदार सरोवर गुजरात

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की 7 नदियों के किनारे बसे 11 शहरों के पर्यावरण उन्नयन की योजनायें स्वीरकृत की थीं । इनमें नर्मदा नदी के किनारे बसे जबलपुर को भी सम्मलित किया गया था । इनमें नर्मदा नदी से संबंधित योजनाओं में जबलपुर के अन्तर्गत घाटों के विकास, सामुदायिक शौचलायों का निर्माण, शवदाहगृह का निर्माण एवं वृक्षारोपण संबंधी कार्य वर्ष 2003-2004 तक लगभग रूपये 120 लाख के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

नर्मदा नदी की मॉनिटरिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित योजना राष्टीय जल गुणवता प्रबोधन कार्यक्रम मीनार्स के तहत् भी की जा रही है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत् नर्मदा नदी शुद्धिकरण हेतु राष्टीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत होशंगाबाद शहर को शामिल किया गया है । जिसका कार्य एप्को द्वारा संपादित किया जा रहा है । नगर पंचायत अमरकंटक द्वारा संपूर्ण क्षेत्र हेतु जल-मल योजना तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भोपाल भेजी जा चुकी है । मान्नीय मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अमरकंटक में 03 सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठ्न, (एप्को) भोपाल के पत्र कमांक 1687 दिनांक

संगमरमर के पत्थरों से निकलती नर्मदा

28.06.2011 अनुसार राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा होशंगाबाद शहर में नर्मदा नदी में प्रदूषण कम करने की रू. 12.99 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी।

नर्मदा नदी मे नाले के द्वारा मिलता घरेलू दूषित जल

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रणनीति व कार्य योजना

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के पर्यावरणीय प्रदूषण का शमन करने हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन दिनाँक 13/5/2011 को किया गया है जिसमें बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी व मैदानी कार्यालयों के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अक्टूबर 2011 तक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ नर्मदा नदी के निम्नलिखित प्रमुख घाटों का दौरा किया गया जिनमें स्थानीय जिला कलेक्टर, नगरीय प्रशासन विभाग, अशासकीय संगठन एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सम्मलित किया गया :

समिति के सदस्य

1 श्री आर.के. श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री	अध्यक्ष,
2 श्री हेमन्त शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी धार	सदस्य
3 श्री आलोक सिंघई, क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल	सदस्य
4 श्री आलोक जैन, कार्यपालन यंत्री	सदस्य
5 डॉ0 अभय सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ	सदस्य
6 श्री पी.एस.बुन्देला, क्षेत्रीय अधिकारी, जबलपुर	सदस्य
7 श्री एम.के.मण्डराई, क्षेत्रीय अधिकारी, शहडोल	सदस्य
8 डॉ0 आलोक सक्सेना, वैज्ञानिक,	सदस्य
9 श्री ए.ए.मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर	संयोजक

1 ओंकारेश्वर
2 होशंगाबाद
3 जबलपुर
4 डिण्डौरी
5 अमरकंटक
6 महेश्वर
7 मण्डलेश्वर
8 खलघाट
9 धरमपुरी

रणनीति का स्वरुप :

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के पर्यावरण प्रबंधन के लिये बनाई गई रणनीति का स्वरूप मुख्यतः निम्नानुसार तय किया गया है :

क : प्रथमतः नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों का पर्यावरणीय सुधार ।

ख : नर्मदा नदी के 21 बिन्दुओं पर सतत् मॉनीटरिंग कर पर्यावरणीय स्थिति का सतत् आकलन ।

ग : नर्मदा नदी के अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन कर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बनाना ।

घ : पर्यावरणीय अधिनियम को नर्मदा जल ग्रहण क्षेत्र में सख्ती से लागू करवाना व नर्मदा नदी में मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन कराना।

जल गुणवत्ता मापन कार्यक्रम :

प्रथमतः नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों का पर्यावरणीय सुधार व नर्मदा नदी के 21 बिन्दुओं पर सतत् मॉनीटरिंग कर पर्यावरणीय स्थिति का सतत् आकलन का कार्य बोर्ड द्वारा हाथ में लिया गया है ।

इस कार्य के अन्तर्गत नर्मदा नदी के 21 बिन्दुओं को बोर्ड के वार्षिक मॉनीटरिंग पैकेज में रखा गया है जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित मार्नीस के 13, जेम्स के 2 बिन्दु के अतिरिक्त 6 अन्य बिन्दु सम्मलित हैं तथा इन बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा लगातार मानिटरिंग की जा रही है।

नर्मदा नदी-घाटों पर नहाने के दौरान साबुन का उपयोग भी प्रदूषण का एक कारण है.

घाटों का पर्यावरणीय सुधार :

घाटों के पर्यावरणीय सुधार के लिये बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रणनीति तैयार की गई है :

1 समिति द्वारा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के सभी घाटों का सर्वेक्षण/ निरीक्षण कर पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाले तथ्यों की जानकारी एकत्रित करना ।

2 सभी घाटों की मॉनीटरिंग कर जल गुणवत्ता की स्थिति ज्ञात करना

3 उपरोक्तानुसार प्राप्त कमियों के सुधार के लिये शॉर्ट टर्म योजना के अन्तर्गत मार्च 2012 तक के कार्य यथा सम्भव बोर्ड के बजट से पूर्ण कर घाटों का पर्यावरणीय उन्नयन करना ।

4 घाटों पर प्रदूषण के लिये जिम्मेदार नगरीय निकायों को विधिक निर्देश अथवा विधिसम्मत कार्यवाही कर पर्यावरणीय सुधार करवाना ।

5 नर्मदा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में आने वाले जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों के जल प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था का आकलन करना व निर्धारित मानकों तक उपचार के बाद सम्पूर्ण निस्राव का उद्योग परिसर में उद्योग कर सतत् शून्य निस्राव की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना ।

6 नर्मदा नदी के संबंध में जन-जागृति व जन-चेतना के लिये आवश्यक कार्यवाही करना जिसमें विशेष रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्ती विसर्जन के लिये जारी मार्गदर्शिका का अनुपालन नगरीय निकायों के माध्यम से करवाना ।

7 नर्मदा नदी जिन जिलों से होकर गुजरती है उनके संबंधित विभागों के साथ सतत् बैठक कर पर्यावरणीय समस्याओं का आकलन करना व उनके निदान हेतु कार्यवाही करना ।

8 नर्मदा नदी के संबंध में उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित कार्यक्रम के आधार पर विस्तृत पर्यावरणीय आंकड़ों के साथ परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लागू करना ।

ग :नर्मदा नदी के अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन कर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बनाना ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि यद्यपि नर्मदा अधिक प्रदूषणकारी नदी नहीं है तथापि नर्मदा में उसके आस-पास जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाले शहरों व गावों का घरेलू जल-मल बिना उपचार के सीधे नदी में मिलता है । इसी प्रकार इन शहरों व गावों का नगरीय ठोस अपशिष्ठ तथा प्लास्टिक अपशिष्ठ सीधे तौर पर यदि नर्मदा में नहीं भी मिलता है तो वर्षाकाल के दौरान वर्षाजल के साथ बहकर नदी में जाता है । मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदी के केचमेंट में आने वाले सभी जल प्रदूषणकारी उद्योगों को शून्य निस्राव की स्थिति लागू करने के निर्देश दिये गये हैं व इस जल ग्रहण क्षेत्र में यथासम्भव जल प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थापित न होने देने की रणनीति भी अपनाई जा रही है । केवल एक उद्योग मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद का उपचारित निस्राव ही नर्मदा नदी में मिलता है व इस उद्योग के द्वारा हाल ही में क्षमता विस्तार किया जा रहा है जिसके परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा नीति बनाई गई

नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर घाट

है कि उद्योग से उपचारित निस्राव को पूर्णतः उद्योग परिसर में उपयोग करने संबंधी कार्ययोजना बनाकर लागू कराई जायेगी ताकि नदी में किसी भी तरह का औद्यौगिक निस्राव न पहुंच सके ।

नर्मदा नदी के प्रदूषण के अन्य कारणों में नदी तट से रेत का अनाधिकृत उत्खनन है जिसके लिये नर्मदा नदी के लिये विशेष खनन्नीति बनाकर राज्य शासन के माध्यम से लागू की जा सकती है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नर्मदा नदी का प्रदूषण मुख्यतः घरेलू जल-मल, मूर्तियों के विसर्जन, घाट पर नहाने व कपड़े धोने में साबुन का उपयोग, सिंघाडे एवं तरबूज-खरबूज आदि की खेती, वाहनों का नदी में धोना व पूजा निरमाल्य का विसर्जन आदि से होता है ।

इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का तकनीकी विशेषज्ञ होने के नाते यह सुझाव है कि म.प्र.शासन के स्तर पर इस हेतु उचित बजट निर्धारित करवाया जाये व नदी के संरक्षण हेतु योजना आउट सोर्सिंग के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय तकनीकी/वैज्ञानिक विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार की जाये जिसके डीपीआर के लिये पृथक से बजट स्वीकृत कराया जाये। योजना को डीपीआर की अनुशंसाओं के आधार पर समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाये ।

उपरोक्त के अतिरिक्त नदी को प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी घोषित करते हुये नदी के 500 मीटर क्षेत्र में किसी भी औद्यौगिक गतिविधियाँ, कालोनियाँ, उत्खनन पोलिथिन कैरी बैग का उपयोग, नदी में सीधे मूर्ती विसर्जन को प्रतिबंधित करने के लिये आवश्यक अधिसूचनायें संबंधित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी की जायें । नर्मदा नदी को प्रदूषित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने की दृष्टि से स्पष्ट नियम बनाकर अधिसूचित किये जायें ।

घः पर्यावरणीय अधिनियम को नर्मदा जल ग्रहण क्षेत्र में सख्ती से लागू करवाना व नर्मदा नदी में मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन कराना ।

नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रदूषणकारी गतिविधियों को चिन्हित करने की कार्यवाही संबंधित जिला प्रशासन, नगरीय निकाय, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, व अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से की जाये ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में मान्नीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिशा-निर्देश जारी किये हैं । इन दिशा-निर्देशों के ऐसे बिन्दुओं को जो प्राचीन समय से जन-आस्था के अन्तर्गत दुर्गा मूर्ती व गणेश मूर्ती के विसर्जन के सापेक्ष हैं को लागू करवाया जाये।

नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति के कियाकलाप

समिति द्वारा अपने किया कलापों को प्रारम्भ करते हुये प्रथम चरण में घाटों के पर्यावरणीय सुधार का कार्य प्रारम्भ किया है । जिसमें निम्नलिखित घाटों का निरीक्षण/ सर्वेक्षण व संबंधित जिला कलेक्टर, नगरीय निकायों व एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मार्च 2012 तक शॉर्ट टर्म कार्यकम लागू कर घाटों का पर्यावरणीय सुधार किया जाना है ।

जिन घाटों को प्रथम चरण में निरीक्षण, सर्वेक्षण व बैठकों के लिये निर्धारित किया गया है वे निम्नानुसार हैं :

- ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा
- महेश्वर, जिला खण्डवा
- होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद
- जबलपुर, जिला जबलपुर
- डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी
- मण्डला, जिला मण्डला
- अमरकंटक, जिला अनूपपुर

डॉ एन.पी. शुक्ला श्रीश्री रविशंकरजी से ओंकारेश्वर में प्रस्तावित आश्रम में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के बारे में दिनांक 06.03.12 को इंदौर में चर्चा करते हुए.

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, समिति के सदस्यों व जिला कलेक्टर, नगरीय निकाय तथा एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ अभी तक नर्मदा नदी के घाटों के सर्वेक्षण/निरीक्षण / बैठकों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही व हुई उपलब्धियों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :

क	तिथि	निरीक्षण/बैठक स्थल	तथ्यात्मक स्थिति	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
1	19.3.11	ओंकारेश्वर घाट का अध्यक्ष व क्षेत्रीय अधिकारी, द्वारा निरीक्षण/ सर्वेक्षण	1 घाट के आस-पास बने मकानों, धर्मशालाओं आदि से सीवेज का सीधा निस्सारण नर्मदा में होता पाया गया ।	– बोर्ड द्वारा जल अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत ओंकारेश्वर को दिनांक 12.7.2011 को नदी में सीवेज मिलने के लिये नोटिस दिया गया।